भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2971**

**15 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न**

**प्वाइंट ऑफ सेल मशीन**

**2971. डॉ. लोरहो फोज़:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राशन कार्ड धारकों को देश में किसी भी पी.डी.एस. दुकान से राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) की सुविधा से युक्त बनाने के लिए संपूर्ण देश में पी.ओ.एस. मशीनें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उत्तर पूर्व भारत विशेषकर मणिपुर में पी.ओ.एस. मशीनों की सुविधा से युक्त पी.डी.एस. दुकानों की संख्या तथा अब तक पी.ओ.एस. मशीनों की सुविधा से रहित इन दुकानों की संख्या कितनी है; और

(घ) मणिपुर सहित उत्तर पूर्व भारत में सभी पी.डी.एस. दुकानों को कब तक पी.ओ.एस. मशीनों की सुविधा से युक्त कर दिया जाएगा?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क):** जी, हां। विभाग द्वारा अब तक 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी) लागू की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 75 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) जनसंख्या का 94.3 प्रतिशत है, जिनके पास इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण पर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता का खाद्यान्न उठाने का विकल्प होता है।

.....2/-

**(ख):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों की स्थापना सहित टीपीडीएस प्रचालनों की सभी मूलभूत जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की होती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के अन्तर्गत, विभाग ने नवंबर 2014 में सभी एनएफएसए लाभार्थियों के लिए सब्सिडाइज्ड खाद्यान्नों के पारदर्शी, प्रभावी और सुनिश्चित वितरण के लिए सभी उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के साथ बायोमेट्रिक स्कैनर की स्थापना हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे।

**(ग) और (घ):** देश में, अब तक कुल 5.33 लाख उचित दर दुकानों में से 4.98 लाख (93.5%) से अधिक उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण स्थापित किए गए हैं। असम को छोड़कर, मणिपुर सहित पूर्वोतर के सभी राज्यों में ईपीओएस उपकरणों की स्थापना संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है। विभाग द्वारा असम में लगभग 33,800 ईपीओएस उपकरणों की स्थापना संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए असम राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से बातचीत की जा रही है।

*****